



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052020-219614
CG-DL-E-28052020-219614

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1480]
No. 1480]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2020/ज्येष्ठ 5, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2020/JYAISHTHA 5, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2020

का.आ. 1647(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बाडमेर से पचपदरा (राजस्थान) तक (मंगला कूड आइल पाइपलाइन) कच्चा तेल पदार्थ परिवहन के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री उगमदान रत्नू, सक्षम प्राधिकारी, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान), तेल भवन, सहकार मार्ग, लाल कोठी विस्तार, ज्योति नगर, जयपुर-302 005 (राजस्थान) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

राज्य : राजस्थान

क्रम सं.	गाव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
तहसील : बायतु		जिला : बाडमेर			
1	बायतु चिमनजी	1058 / 547	00	15	23
2	खेमोणी मुढो की ढाणी	837 / 194	00	20	03
तहसील : पचपदरा		जिला : बाडमेर			
1	नीम्बली	481 / 278	00	01	50

[फा. सं. आर-11025 / 1 / 2019-ओआर-आई/ई-31849]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2020

S.O.1647(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Crude Oil Product (Mangala Crude Oil Pipeline) from Barmer to Pachpadra (Rajasthan), a Pipeline should be laid by HPCL Rajasthan Refinery Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Ugandan Ratnoo, Competent Authority, HPCL Rajasthan Refinery Limited (Rajasthan), Tel Bhavan, Sahakar Marg, Lal Kothi Vistar, Jyotinagar, Jaipur -302 005 (Rajasthan).

SCHEDULE

STATE : RAJASTHAN

Sr. No.	Name of Village	Khasra Nos	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
TEHSIL : BAITU		DISTRICT : BARMER			
1	BAITU CHIMANJI	1058/547	00	15	23
2	KHEMONI MUDHO KI DHANI	837/194	00	20	03
TEHSIL : PACHPADRA		DISTRICT : BARMER			
1	NIMBLI	481/278	00	01	50

[F. No. R-11025/1/2019-OR-I/E-31849]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.